15.16 hrs.

Title: Consideration and passing of the National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2002 moved by Shri Hukumdeo Narayan Yadav on the 1st August, 2002. (Continued –Concluded) (Bill passed.)

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item No.12. Shri Rattan Lal Kataria would continue.

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, हमने द्वितीय जनरेशन के रिफॉर्म्स को अपनाया है और 1990 के बाद भारत में सुधारों का युग लागू है। हम चाहते हैं कि देश की 21 करोड़ जनता जो इस को-आपरेटिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, आज के 'गैट' के द्वारा हमारे सामने चैलेंजेस खड़े किये गये हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के माध्यम से चैलेंजेज खड़े किये गये हैं, उनका मुकाबला करने के लिए और अपने इन 21 करोड़ लोगों को जो कि 5,04000 को-आपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से विभिन्न कार्यों में जुटे हैं, यह अमेंडमेंट आई है। इसके माध्यम से जो नेशनल को-आपरेटिव डैवलपमेंट कोरपोरेशन अमेंडमेंट का बिल आया है, हमारी मान्यता है कि इस बिल के माध्यम से हमारे को-आपरेटिव सैक्टर को बहुत ताकत मिलेगी। आज जहां पर हम इन बातों का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कई को-आपरेटिव्स के इंस्टीट्यूशंस हैं। वे कोई आज नये नहीं हैं। 1904 में हमारे देश में पहला को-आपरेटिव एक्ट बना। उसके बाद 1912 में बना। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और 1935 का एक्ट बना और इस विाय को प्रोविंशियल लिस्ट में रखकर धारा 32 में रखा गया और उसके बाद मल्टी यूनिट सोसायटीज कोपरेटिव एक्ट 1942 के अन्तर्गत आया और एक से बढ़कर एक अमेंडमेंट आती रहीं। यही कारण है कि 1950 और 1951 में को-आपरेटिव्स की जो मैम्बरशिप थी, वह एक करोड़ 55 लाख से बढ़कर आज 21 करोड़ तक पहुंच गई है और इसी तरह से शुरू में देश के अंदर 1,81,000 को-आपरेटिव सोसायटीज थी, वह आज बढ़कर 5,04000 से ऊपर चली गई है। आज कौन सा सैक्टर है जिसके अन्तर्गत को-आपरेटिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

देश में कन्ज्युमर सोसायटीड 27,126 हैं। मार्केटिंग सोसायटीज़ प्राइमरी 8,794 हैं, सैन्ट्रल सोसायटीज़ 453 और स्टेट लैवल पर 29 हैं। शुगर को-आपरेटिव्स सोसायटीज़ 263 हैं, स्पिनिंग सोसायटीज़ 137, ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव्ज सोसायटीज़ 6,198 हैं, डेयरी कोआपरेटिव्ज सोसायटीज़ 87,755 हैं। यहां तक कि महिलाओं ने भी इस सैक्टर में काफी प्रगति की है और विमैन को-आपरेटिव्ज सोसायटीज़ 8,006 हैं। हाउसिंग सोसायटीज़ स्टेट लैवल पर 25 है और प्राइमरी 90,000 हैं। फार्मिंग के क्षेत्र में कोआपरेटिव्ज सोसायटीज़ की संख्या 7,199 है । इरिगेशन के क्षेत्र में 7,322 सोसायटीज़ हैं। इन्डस्ट्रियल वीवर्स सोसायटीज़ 19,980 हैं। फीशयरीज के क्षेत्र में 13,055 हैं। पोल्ट्री के क्षेत्र में 13,055 हैं। लेबर के क्षे6 में 28,958 हैं और फारैस्ट लेबर के क्षेत्र में 3,394 हैं। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, कोआपरेटिव सिस्टम एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर क्रान्तिकारी काम हो रहे हैं, वहीं पर इसमें जो खामियां आई हैं, उन खामियों को दूर करने की ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसायटीज़ को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि किसी सोसायटी को पंगू कर दे, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स में किसी व्यक्ति को रख दे और कोआपरेटिव आन्दोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इस सिस्टम को पंगू बनाने में लगे थे, आज इस अमेंडमेंट के आने से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमें आशा है कि को-आपरेटिव सिस्टम अपोलिटिकलाइज बन जाएगा, राजनीतिक दखल इसके अन्दर खत्म हो जाएगा। आज इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस, जिसके अन्दर विभिन्न देशों के लोगों ने हिस्सा लिया, जो 1995 के अन्दर मैनजेस्टर डिक्लरेशन किया गया, इसमें बातों को एडाप्ट करने की बातें कही गई हैं। भारत के अन्दर उस डिकलरेशन को जारी करने की आवश्यकता है। इसके वीज़न और इसके मिशन और इसकी डैफिनिशन में कहा गया है -

> "A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise."

इसको जागृत करने की आवश्यकता है । इसी लिए कोआपरेटिव वैल्युज़ में कहा गया है -

> "Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility."

इस अमेंडमेंट के माध्यम से इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कोआपरेटिव सिस्टम के माध्यम से इस देश के अन्दर 14 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एग्रीकल्चर स्टेंडिंग कमेटी की एक रिकमेंडेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। उस अमेंडमेंट में जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं और बाबासाहिब भीमराव अम्बेडकर जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो ध्येय रखा था, जिन लोगों के पैरों में बिवाइयां पड़ी हुई हैं, जब तक उन लोगों के दुखदर्द को सुना नहीं जाएगा, तब तक हम इस सिस्टम का पूरा फायदा नहीं उठा पायेंगे।

सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि कोओपरेटिव सिस्टम के अंदर मैरिट के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। आज हम क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन की बात नहीं करते, लेकिन जिनका अधिकार बनता है उनको इसका फायदा दिया जाए। सभापति जी, आप अनुसूचित-जाति और बैकवर्ड लोगों की आ वाज यहां उठाते रहे हैं इसलिए मुझे कुछ और समय बोलने के लिए दिया जाए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था लेकिन पार्टी का आदेश है, उसका भी पालन करना पड़ता है। इसलिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं कि इसे तुरंत पास किया जाए।

15.27 hrs (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair)

SHRI A. BRAHMANAIAH (MACHILIPATNAM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity given to me. The National Co-operative Development Corporation Act was passed in 1962 and amended in 1973 and 1974. The present Amendment Bill was proposed in the year 1995. The cooperative movement has a vital role to play in the economic growth of our country. Each State has cooperative legislations in regard to several types of cooperative societies.

The main objective of this Act is to extend a helping hand to the State cooperatives functioning in the different sectors of the society, which are facing financial crisis. This amendment has been proposed to fulfil the major demands of the cooperative sector, that is direct lending to the cooperatives by the National Cooperative

Development Corporation without Government guarantee.

Sir, I want only five minutes.

MR. CHAIRMAN : There is no time.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, I will take only five minutes.

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, within five minutes I am going to conclude.

Besides this, the Act also provides for the inclusion of livestock, fisheries, industrial goods, agro-forestry, sericulture and allied activities to get financial assistance by the NCDC.

According to the another provision of the Act, now the Corporation extends a helping hand to the sick cooperative mills towards re-capitalisation. During the Ninth Five Year Plan, a new component of re-capitalisation of the sick mills was included. It provides for table loan, investment loan, rescheduling of loan, reduction in the rate of interest, penal interest and other penalties, additional margin money and working capital.

In view of the WTO Agreement, so many spinning mills in our country, especially in Andhra Pradesh, have been closed down because of the competition arising out of globalisation. It is a fact that Agro-Cooperative Banks, Cooperative Marketing Committees, Cooperative Warehouses and many other cooperative organisations have helped the agricultural sector a lot.

The aim of the amendment of this Bill is to authorise the Corporation to accept grants, donations from any agency in India or outside the country and to empower the Corporation to waive, in suitable cases, conditions with regard to guarantee by the State Government and the Central Governmentâ€¦...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Brahmanaiah, please hear me. It is 3.30 p.m. now. We have to take up the Private Members' Business....(*Interruptions*)

SHRI A. BRAHMANAIAH : Sir, I am going to complete it in two minutes.

MR. CHAIRMAN: I am giving you time. But please hear me. I have to take the sense of the House. The point is you are now speaking. Your speech will be completed. Then, Dr. Raghuvansh Prasad Singh will speak. Thereafter, the hon. Minister will reply. We will take up the Private Members' Business after passing the Bill. I think the House agree to it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Shri Brahmanaiah, please continue your speech.

SHRI A. BRAHMANAIAH : Lastly, I want to make only two or three suggestions In order to achieve the goal of the National Cooperative Development Corporation, the existing Cooperatives should be put on a sound track. That is, they should be made financially strong.

The second one is that excessive bureaucratic control and unnecessary administrative interference should be reduced in the Cooperative Sector.

Thirdly, the Government assistance has to be increased to the Cooperative Societies.

Lastly, the Central Government should take necessary steps to allow the Cooperative Institutions to function on democratic principles in the State.

I hope that this amendment will be implemented in the right direction and a new era will be started in the Cooperative Sector. I support this Bill and I conclude my speech.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, राट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक चिर लम्बित और प्रतीक्षित था। इसमें दो-तीन छोटी-छोटी बातों का उल्लेख किया गया है। एक तो यह है कि पहले राज्य सरकार की गारंटी पाकर ऋण देने का प्रावधान था, अब इस संशोधन विधेयक के बाद वह गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राज्य सरकार बीच में से हट गई तो उन कमजोर सहकारी निगमों का क्या होगा? श्री रतन लाल कटारिया जी ने कहा कि उन कमजोर कोआपरेटिव्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। जो विकसित और मजबूत कोआपरेटिव्स होंगी, उन्हें ही ऋण मिल सकेगा। सरकार इस बात का आश्वासन दें कि जो कमजोर कोआपरेटिव्स हैं, उन्हें कैसे डील करेगी। यदि इस तरह की कड़ी शर्त राज्य सरकार के सामने रख देंगे तो ताकतवर कोआपरेटिव्स हैं, उन्हीं को ही लाभ मिल सकेगा। जो कमजोर कोआपरेटिव्स के लाखों सदस्य हैं, उनके लिये क्या प्रावधान होगा और उससे कैसे ऋण प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगी?

नेशनल कोऑपरेटिव के बारे में हमने सुना कि उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वह पालिसी कहां है। उस पालिसी को लाया जाए और सदन को दिखाया जाए कि इन्होंने क्या पालिसी बनाई है, जिसमें कोऑपरेटिव डेमोक्रिटक फंक्शनिंग करें, आत्मनिर्भर हो और सरकार उनकी सहायता करें तथा जिससे सहकारिता आंदोलन

मजबूत हो। जिससे दबे हुए, पिछड़े हुए, दलित और सभी तरह के लोगों को उसमें शामिल किया जाए और उन्हें सहूलियत दी जाएं। डब्ल्यू.टी.ओ. के बाद खास तौर से कोऑपरेटिव आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। जिससे डब्ल्यू.टी.ओ. का जो कुप्रभाव इस पर पड़ने वाला है, उसका मुकाबला कर सकें।

आप राट्रीय सहकारी विकास निगम से 13.25 प्रतिशत सूद लेते हैं और बैंक से 10.5. प्रतिशत लेते हैं तो इतना महंगा कौन लेगा। इसलिए आप सूद की दर को घटाने का काम करें। नहीं तो आर.आई.जी.एफ. से लोग क्यों नहीं लेंगे। एन.सी.डी.सी. से क्यों लेंगे। इसलिए सूद का जो हाई रेट 13.25 है, इसे आप कितना घटा देंगे, जो आम कोऑपरेटिव वाले, वीकर कोऑपरेटिव्स भी इससे लाभ उठा सकें।

अगला प्वाइंट यह है कि जब राज्य सरकार से गारंटी होती थी तो राज्य सरकारें उन्हें शेयर कैपिटल देती थीं। अब राज्य सरकारें गारंटी नहीं देंगी, सरकार ने कानून बना दिया है कि राज्य सरकारें गारंटी नहीं देंगी, राज्य सरकारें बीच में से हट गई हैं। पहले जो कोऑपरेटिव्ज को शेयर कैपिटल की मदद मिलती थी, इसके लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि उन्हें शेयर कैपिटल मिल सके।

इंटीग्रेटिड कोऑपरेटिव डेवलपमैन्ट प्रोग्राम में बिहार के तीन जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान का इनके पास लम्बित है। आई.सी.डी.पी. यानी समग्र सहकारिता विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें तीन जिलों का आया हुआ है, पांच जिलों का प्रावधान किया गया है। उसकी मांग है। अब आठ जिलों का कैसे होगा, उनका विस्तार से काम हो।

अंतिम प्वाइंट यह है कि एन.सी.डी.सी. के द्वारा रूरल ग्रोथ सैन्टर इन बिहार के लिए क्या प्रावधान करें। इन चार बातों का माननीय मंत्री जी उत्तर दें। प्रथम सूद घटाने वाला, बीच में से राज्य सरकार हट गई, शेयर कैपिटल कोऑपरेटिव को मिले और वीकर कोऑपरेटिव्स के लिए प्रावधान हो। अन्यथा विकसित राज्य और विकसित कोऑपरेटिव्स ही इससे ऋण का लाभ उठा पायेंगे। बाकी कोऑपरेटिव्स को नहीं मिलेगा। इसलिए वीकर कोऑपरेटिव्स इससे लाभ उठा सकें। आपके पास तीन जिलों का आया हुआ, आठ जिलों का करना है। इन सब प्वाइंट्स पर सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है, कृपया मंत्री जी सदन में बतायें।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : सभापति महोदय, मैं रघुवंश बाबू को धन्यवाद देता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि आपके जो सुझाव होंगे, उन्हें हम मान भी लेंगे और विचार भी करेंगे। जहां तक सूद का प्रश्न है, एन.सी.डी.सी. की तरफ से सवा 12 प्रतिशत से लेकर 13 प्रतिशत तक सूद हम ले रहे हैं। अभी आपने जो 13 प्रतिशत कहा था, उसे हमने सवा 12 प्रतिशत कर दिया। इस तरह आपके कहने के साथ ही हमने उसे मान लिया। हम जो बैंक से लेते हैं, उसमें केवल एन.सी.डी.सी. से सवा प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत हम अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। हम जब यहां से पैसा देते हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव फैडरेशन, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सहकारी पैक्स तक जाता है, बाकी जो राज्य सरकारों के सहकारी बैंक और संस्थाएं हैं, वे अपना सर्विस चार्ज लेती हैं और उनका जो जुड़ता है, अगर राज्य सरकारों से सहयोग करके आप उसमे कम कराने की कृपा कर दें तो पैक्स तक यह बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है।

आपने आई.सी.डी.पी.का प्रश्न उठाया। उस पर मेरा कहना है कि पूरे देश में एन.सी.डी.सी. की तरफ से आई.सी.डी.पी. के कार्यक्रम हम सब राज्यो में ले रहे हैं।

हर राज्य में आई.सी.डी.पी. की तरफ से जो पैक्स तक हम जाते हैं जहां जहां उनके सिस्टम हैं, उसके अनुसार हम उनको पैसे देते हैं। बिहार में लगभग सवा तीन लाख के आसपास पैक्स को पैसा देते हैं गोदाम बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, बैंक काउंटर बनाने के लिए और उसकी तरफ से जो राज्य सरकार में वहां के डी.एम. होते हैं वही हमारे आई.सी.डी.पी. के अध्यक्ष भी होते हैं। सभी अधिकारी राज्य सरकार के सहकारी विभाग के होते हैं। हम यहां से पैसा भेजते हैं, वह राज्य सरकार के अधिकारी अमल में लाते हैं। माननीय रघुवंश जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि जरा बिहार सरकार के साथ मिलकर करें कि अभी तक बिहार में आई.सी.डी.पी. के हमने जितने कार्यक्रम दिए हैं उसमें सीतामढ़ी भी है, मधुबनी तथा दूसरे जिले भी हैं जिनका हमें स्मरण नहीं है लेकिन उनको हमने स्वीकृति दी है। उन जिलों में पांच वर्ा के अंदर हमें करीब-करीब आई.सी.डी.पी. के कार्यक्रम पूरा करना है जिसमें से तीन साल गुज़र गए लेकिन हम अभी तक 50 प्रतिशत के टार्गेट तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि कहीं जमीन नहीं मिलती है, कहीं व्यापार मंडल की ज़मीन जो मिलनी चाहिए, वहां जो 225 मीट्रिक टन का गोदाम बनाना है और प्रखंड मुख्यालय में ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए उस ज़मीन की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण भी हमें कठिनाई हो रही है। आई.सी.डी.पी. की तरफ से हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे तौर पर इस देश के अंदर पैक्स को इतना मज़बूत कर दें कि वही प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ही किसान के लिए है जहां से उनको अच्छी खाद सस्ती दर पर मिले और ऐग्री बिजनैस और ऐग्री सेन्टर जो हम बनाएंगे किसान की मिट्टी की जांच के लिए, खाद की जांच के लिए, पानी जांच के लिए जिस पर हम भारत सरकार द्वारा विस्तार से कार्यक्रम चला रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रैजुएट के लिए, उसको भी हम चाहते हैं कि वह कोआपरेटिव सैक्टर में आए और वहां भी अधिक से अधिक फैलाव हो जिससे किसानों को लाभ मिले।

माननीय कटारिया जी ने प्रश्न उठाया था कि अनुसूचित जाति सहकारी समिति ने एन.सी.डी.सी. द्वारा अब तक 13 करोड़ 16 लाख 67 हजार रुपये 2000-2001 तक उनकी समिति में जो काम करने वाले हैं, उनको दिये हैं। अनुसूचित जाति में जो हमने उनको दिये हैं, वह 68 करोड़ 84 लाख रुपये उनके क्षेत्र में हमने दिया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में सहकारी समितियां हैं या महिलाएं जिन सहकारी समितियों को चलाती हैं या जहां श्रमिक सहकारी समितियों को चलाते हैं, यह पहली बार सहकारिता के आंदोलन में, पहली बार एन.सी.डी.सी. के इतिहास में है कि इस बार हमने 21 जून को देश भर से चुने हुए 26 सहकारी समितियां जो नीचे स्तर के क्षेत्र में हैं, उनको बुलाकर यहां पर 50000 रुपये का पुरस्कार देकर उनको हमने सम्मानित किया। इससे आशा बंधी है कि देश में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ निचले स्तर पर हैं, कमज़ोर वर्ग में हैं, जहां किसान काम करने वाले हैं, महिलाएं या श्रमिक काम करने वाले हैं, उनकी समितियों को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं। अब तक एन.सी.डी.सी. की तरफ से लगभग 6582 करोड़ रुपया हमने ऋण दिया है विभिन्न सैक्टर में काम चलाने के लिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने जो बताया कि कमजोर है राज्य सरकार, पहले राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के ज़मानतदार होने पर हम सहकारी समिति को ऋण देते थे। उसमें कई तरह के व्यवधान आते थे। पैसे यहां से रिलीज़ करते थे, राज्य सरकार उस पैसे को दूसरे कामों में खर्च कर देती थीं। आगे पैसा नहीं जाता था, इसलिए हम उनको रिलीज़ नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे बहुत पैसे रुक जाते थे। हमने सीधा किया है कि जो गांवों में पैक्स है और अगर वह सक्षम है, उनके तो कागज़ हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, टर्नओवर देखेंगे, कार्यशीलता और कार्यक्षमता को देखेंगे, व्यापार संतुलन को देखेंगे, उसके आधार पर हम असैसमेंट करेंगे कि नीचे की समिति भी अपने आप में काम करने वाली है तो उसको हम सीधे ऋण देकर उनके काम को आगे बढ़ाने की मदद करेंगे और इससे कमज़ोर वर्ग की सोसाइटीज़ को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

जो अभी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं जिनमें कटारिया जी ने सवाल उठाया था उसमें हमने बहुत ज्यादा प्रावधान किये हैं कि जो रजिस्ट्रार है, उसकी ताकत कम की जाए। तीन महीने, चार महीने हमने ऐसा समय दिया है कि इतने दिन में निबंधन करना है, नहीं तो स्वतः निबंधन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अधिकारी का नियंत्रण कम हो और कोआपरेटिव सोसाइटीज का लोकतांत्रीकरण हो, जनता के हाथ में जाए, वही उसकी संचालक बने। उसमें राजनीति और प्रशासन का जितना कम से कम हस्तक्षेप हो और जनता जितना उसमें आगे आए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।

अंतिम प्रार्थना मैं करूंगा कि अभी टास्क फोर्स बनी हुई है। उसमें कई राज्यों के कोआपरेटिव के मंत्री और अधिकारी हैं। उस पर हमने कई चर्चाएं की हैं लेकिन सहकारी समिति को एक पैटर्न पर, राट्रीय स्तर पर एक जैसा बनाना चाहते हैं जिससे हमें काम करने में सुविधा हो।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि केन्द्र और राज्य सरकार की सहकारी समितियों में समन्वय स्थापित हो। इसके लिए हमने बैठक की, लेकिन रघुवंश बाबू आप भी जानते हैं कि जब तक राज्य सरकारें सहमत नहीं होंगी और वे सहमत नहीं होंगे, तो अकेले हम उन पर लाद नहीं सकते हैं और इसमें हमें बहुत कठिन प्रयास करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सारे राज्यों में एक जैसी कोआपरेटिव सोसायटियां बनें, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी राज्य में कोआपरेटिव सोसायटियों का एक रूप है, तो दूसरे राज्य में दूसरा और एक जैसे मापदंड और एक्ट नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि पुराने एक्ट में संशोधन किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक अधिकार सहकारी समितियों को दिए जाएं और कम से कम सरकार का हस्तक्षेप किया जाए और कैसे सारे देश के सभी राज्यों में सहकारी समितियों का एक सा एक्ट बने, पालिटिकल और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हो, यह प्रयास हम कर रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण ही सहकारी समितियों का दम घुटता है। उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बन्द करने के लिए और समितियों को सक्रिय बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इसमें जब तक हमें राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यही हमारी मोटा-मोटी बात है। यह पड़ी हुई थी। इससे एक नया आन्दोलन आने वाला है। नीचे के स्तर की, कमजोर वर्गों की जो सहकारी समितियां हैं, वे राज्य और केन्द्र सरकारों पर आश्रित न रहें, यह मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हम सहकारी आन्दोलन में लगे हुए हैं और मैं लोगों का आह्वान करता हूं कि आप निर्भय होकर आइए। हम आपकी अहर्निश सेवा में तत्पर हैं। अगर आपकी कार्यक्षमता है, दक्षता है, क्षमता है, सन्तुलन सही है, व्यापार का प्रबन्धन ठीक है, तो आप हमारे पास आइए। यदि आपको कहीं पैसा नहीं मिलता है तो आप एन.सी.डी.सी. के पास आइए, हम आपको फूड प्रौसेसिंग के काम के लिए, जो भी काम आप करना चाहें, घरेलू उद्योग चलाना चाहें, कुटीर उद्योग, हस्तकला, हथकरघा, दूध उद्योग, मछलीपालन विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूंजी देने के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग चाहिए, राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill further to amend the National Co-operative Development Corporation Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda − Not present.

The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Prabodh Panda − Not present.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

———